

न्यायालय सहायक कलेक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :- 85/2023 ई.रे.

1- छगनलाल पिता कमललाल ब्राहमण नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बडीसादडी

—वादी

बनाम

- 1- भगवतीलाल पिता कमललाल ब्राहमण नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बडीसादडी
- 2- दुर्गाबाई पिता कमललाल पत्नी भैरूलाल ब्राहमण नि. वरनी तह. भीण्डर
- 3- गोपीबाई पिता कमललाल पत्नी जमनालाल ब्राहमण नि. सांगरिया तह. बडीसादडी
- 4- धापुबाई पत्नी भगवतीलाल ब्राहमण नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बडीसादडी
- 5- लक्ष्मण पिता उदयराम ब्राहमण नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बडीसादडी
- 6- विजयलाल पिता मोहनलाल ब्राहमण नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बडीसादडी
- 7- बालरकु पत्नी मोहनलाल ब्राहमण नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बडीसादडी
- 8- भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 रा0टै0एक्ट

// निर्णय //

दिनांक :- 31/07/2025

वादी की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि 1- मौजा मानपुरा पटवार हल्का महुड़ा की खाता संख्या 6 की आराजी खसरा नं 105, 108, 141, 148, 189, 21, 221, 222, 223, 24, 242, 255, 256, 257, 260, 292, 3, 31, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 417, 418, 5, 147 कुल किता 28 रकबा 8.1500 हैक्ट. लगानी 131.15 रूपया स्थित है। तथा 2- मौजा मानपुरा की खाता संख्या 10 की आराजी नं. 16, 59 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9800 हैक्ट. लगानी 5.99 रूपया स्थित हैं। तथा 3- मौजा मानपुरा की खाता सं. 9 की आराजी नं. 60, 61, 62 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5600 हैक्ट. लगानी 1.68 रूपया स्थित हैं। तथा 4- मौजा मानपुरा की खाता सं. 5 की आराजी नं. 248 रकबा 0.0500 हैक्ट. स्थित है। उक्त वाद पत्र की चरण संख्या 1 से 4 में वर्णित आराजीयात पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति की होकर उदयराम के समय से चली आ रही है उदयराम की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीस उसके पुत्र व बेवा कमलाल, लक्ष्मण, मोहनलाल व बेवा रेवाबाइ हुए। जिनका उदयराम की सम्पत्ति में बराबर-बराबर हक हिस्सा है रेवाबाई की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 उसके पुत्र पौत्र व बहु है जिनका उक्त आराजीयात में प्रत्येक का 1/3 हक हिस्सा है कमललाल वृद्ध थे प्रतिवादी भगवतीलाल ने कमलाल से खाता सं. 6 की आराजीयात में वर्णित 1/12 हक हिस्सा व खाता संख्या 5 में वर्णित 1/48 हक हिस्सा अपनी पत्नी के नाम पर दान पत्र निष्पादित कराकर अपनी पत्नी धापुबाई के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा ली जबकि उक्त आराजीयात पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति की होने से कमललाल को उक्त सम्पूर्ण आराजीयात को दान करने का अधिकार नहीं था तथा अपने हिस्से से अधिक आराजीयात विक्रय करने से कमललाल के द्वारा किया गया दान वादी के अधिकारों पर बेअसर होकर शून्य प्रभावी है।

वाद पत्र की चरण संख्या 1 से 4 में वर्णित आराजीयात पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति की होने से उक्त आराजीयात में जन्म से ही हक हिस्सा निहीत है इसलिये कमललाल को वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 4 में



सहायक कलेक्टर
बडीसादडी (चित्तौड़गढ़)

वर्णित आराजीयात जो कि अच्छी किस्म की जमीन थी जिसे अकेले को दान करने का अधिकार नहीं होते हुए भी सम्पूर्ण आराजी दान कर दी है तथा वादी को अपने हक हिस्से से वंचित कर दिया है इसलिये वादी पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात मे वादी का 17/720 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 17/720 हक हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/60 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/9 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का प्रत्येक का 1/18 हक हिस्सा है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/36 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/36 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/9 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का प्रत्येक का 1/18 हक हिस्सा है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/36 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/36 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/9 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का प्रत्येक का 1/18 हक हिस्सा है व वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित आराजीयात में वादी का 17/2880 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 17/2880 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/240 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/36 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का प्रत्येक का 1/72 हक हिस्सा है उक्त हिस्से अनुसार आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी में घोषित की जाकर आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज कराई जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई । पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई । साक्ष्यवादी में छगनलाल, गोपीबाई, दुर्गाबाई के शपथ पत्र पेश किये गये । वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई । वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। और आदेश दिया जाता है कि मौजा मानपुरा पटवार हल्का महुडा की खाता संख्या 6 की आराजी खसरा नं 105, 108, 141, 148, 189, 21, 221, 222, 223, 24, 242, 255, 256, 257, 260, 292, 3, 31, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 417, 418, 5, 147 कुल किता 28 रकबा 8.1500 हैक्ट. भूमि में वादी का 17/720 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 17/720 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/60 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/9 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का प्रत्येक का 1/18 हक हिस्सा तथा मौजा मानपुरा की खाता संख्या 10 की आराजी नं. 16, 59 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9800 हैक्ट. भूमि में वादी का 1/36 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक 1/36 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/9 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का प्रत्येक का 1/18 हक हिस्सा तथा मौजा मानपुरा की खाता सं. 9 की आराजी नं. 60, 61, 62 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5600 हैक्ट. में वादी का 1/36 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/36 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/9 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का प्रत्येक का 1/18 हक हिस्सा तथा मौजा मानपुरा की खाता सं. 5 की आराजी नं. 248 रकबा 0.0500 हैक्ट. में वादी का 17/2880 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 17/2880 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/240 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/36 हक हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का प्रत्येक का 1/72 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उक्त हिस्से अनुसार आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी में घोषित की जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। । इसी अनुसार अंतिम डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 31/07/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादा

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 85/2023

वादपत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

1- छगनलाल पिता कमललाल ब्राहमण नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बड़ीसादड़ी

—वादी

बनाम

- 1- भगवतीलाल पिता कमललाल ब्राहमण नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बड़ीसादड़ी
- 2- दुर्गाबाई पिता कमललाल पत्नी भैरूलाल ब्राहमण नि. वरनी तह. भीण्डर
- 3- गोपीबाई पिता कमललाल पत्नी जमनालाल ब्राहमण नि. सांगरिया तह. बड़ीसादड़ी
- 4- धापुबाई पत्नी भगवतीलाल ब्राहमण नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बड़ीसादड़ी
- 5- लछमण पिता उदयराम ब्राहमण नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बड़ीसादड़ी
- 6- विजयलाल पिता मोहनलाल ब्राहमण नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बड़ीसादड़ी
- 7- बालरकु पत्नी मोहनलाल ब्राहमण नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बड़ीसादड़ी
- 8- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

—प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री डी.के. वैष्णव तथा प्रतिवादीगण ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा मानपुरा पटवार हल्का महुड़ा की खाता संख्या 6 की आराजी खसरा नं 105, 108, 141, 148, 189, 21, 221, 222, 223, 24, 242, 255, 256, 257, 260, 292, 3, 31, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 417, 418, 5, 147 कुल किता 28 रकबा 8.1500 हैक्ट. भूमि में वादी का 17/720 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 17/720 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/60 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/9 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का प्रत्येक का 1/18 हक हिस्सा तथा मौजा मानपुरा की खाता संख्या 10 की आराजी नं. 16, 59 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9800 हैक्ट. भूमि में वादी का 1/36 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक 1/36 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/9 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का प्रत्येक का 1/18 हक हिस्सा तथा मौजा मानपुरा की खाता सं. 9 की आराजी नं. 60, 61, 62 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5600 हैक्ट. में वादी का 1/36 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/36 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/9 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का प्रत्येक का 1/18 हक हिस्सा तथा मौजा मानपुरा की खाता सं. 5 की आराजी नं. 248 रकबा 0.0500 हैक्ट. में वादी का 17/2880 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 17/2880 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/240 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/36 हक हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का प्रत्येक का 1/72 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उक्त हिस्से अनुसार आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी में घोषित की जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्च..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित..... को दी जावे।

यह आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस

सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/127

दिनांक : 31/07/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस

सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी